



मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट ऑफिस, जीपीएच कम्पाउंड, पोलो ग्राउंड, इन्दौर
CIN: U40109MP2002SGCO15121 WEB: www.mpwz.co.in
E-MAIL: js1.ho@mpwin.com.in, Telephone No. 0731-2426142

कं. प्र.नि./प.क्ष./01/स्था-3/766

इंदौर, दिनांक 24.12.19

परिपत्र

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.10.2018 के अनुपालन में म.प्र. शासन की विद्युत क्षेत्र की कंपनियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी एक्ट-1972, के अनुसार उपादान का भुगतान।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक 10266-10268/2018 में पारित आदेश दिनांक 05.10.2018 के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है कि, पूर्ववर्ती म.प्र.रा.वि.म. से अंतरित/आमेलित कार्मिकों/पेंशनरों को चाहे अनुसार ग्रेच्यूटी अधिनियम-1972 के प्रावधानों के अनुसार उपादान का भुगतान किया जा सकेगा।

2. दिनांक 01.06.2005 के पश्चात कंपनी से सेवानिवृत्त जिन पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को पेंशन नियम 1976 के नियम 44 के प्रावधानों के अनुसार मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान (DCRG) का भुगतान किया जा चुका है, तथा जो ग्रेच्यूटी अधिनियम-1972 के अंतर्गत उपादान चाहते हों तो वे अंतर राशि (यदि कोई हो तो) के भुगतान हेतु संबंधित लेखाधिकारी कार्यालय (श्रेणी 1 एवं 2 कार्मिकों के लिए)/ नियंत्रक अधिकारी कार्यालय जहाँ से कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ है (श्रेणी 3 एवं 4 कार्मिकों के लिए) को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि अंतर राशि का निर्धारण संबंधित अवधि में ग्रेच्यूटी अधिनियम-1972 हेतु समय-समय पर घोषित तथा भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशन/लागू तिथि से स्वीकृत अधिकतम सीमा के अंतर्गत रहेगा। एतद् ग्रेच्यूटी अधिनियम-1972 के तहत उपादान की अधिकतम सीमा एवं संबंधित लागू तिथि का सम्यक संज्ञान लेने के उपरान्त ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना समीचीन होगा। सुलभ संदर्भ हेतु (i) आवेदन का प्रारूप (ii) सेवा विवरण पत्रक एवं (iii) ग्रेच्यूटी अधिनियम 1972 के अनुसार अधिकतम उपादान सीमा एवं प्रायोज्य अवधि विषयक पत्रक संलग्न है।

3. ग्रेच्यूटी अंतर राशि के भुगतान हेतु प्रकरण विभिन्न नियंत्रण अधिकारियों/न्यायालयों/अधिकरणों के समक्ष लंबित है। अतः संबंधित प्रकरण प्रभारी अधिकारी इस परिपत्र की प्रति संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. ग्रेच्यूटी अधिनियम-1972 की धारा 14, ग्रेच्यूटी के संबंध में अध्यारोही प्रभाव रखती है अतः कम्पनी में ग्रेच्यूटी की देयता अधिनियम-1972 के अनुसार होगी।

5. उपरोक्त भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्रतापूर्वक संपादित किये जाने के प्रयोजन से निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

- (i) दिनांक 01.06.2005 के पश्चात कंपनी से सेवानिवृत्त श्रेणी 1 एवं 2 के पेंशनर/परिवार पेंशनर संबंधित लेखाधिकारी कार्यालय जहाँ से उनका अंतिम वेतन आहरित किया गया था, को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं श्रेणी-3 एवं 4 के पेंशनर/परिवार पेंशनर तत्कालीन नियंत्रक अधिकारी कार्यालय जहाँ से वे सेवानिवृत्त हुए हैं, को निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) संबंधित लेखाधिकारी कार्यालय एवं नियंत्रक अधिकारी कार्यालय प्राप्त आवेदन को परीक्षण व गणना उपरान्त सेवापुस्तिका के साथ क्षेत्र के संबंधित कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता को अग्रेषित करेंगे।

(iii) यदि पेंशनर/परिवार पेंशनर द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण उपरांत यह पाया जाता है, कि म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अनुसार मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान अंतर्गत प्राप्त राशि इस परिपत्र अंतर्गत ग्रेच्यूटी अधिनियम 1972 के अनुसार भुगतान योग्य राशि से अधिक है तो संबंधित पेंशनर/परिवार पेंशनर को लेखाधिकारी कार्यालय (श्रेणी 1 एवं 2 हेतु) एवं नियंत्रक अधिकारी कार्यालय जहाँ से कार्मिक सेवानिवृत्त हुआ है (श्रेणी 3 एवं 4 हेतु) द्वारा सूचित किया जावेगा। किसी अन्य कारण से प्रस्तुत आवेदन ग्राह्य नहीं होने/अस्वीकार किये जाने के संबंध में भी पेंशनर/परिवार पेंशनर को संबंधित कार्यालय द्वारा अवगत कराया जायेगा।

(iv) कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण एवं सत्यापन उपरांत भुगतान योग्य अंतर राशि की स्वीकृति प्रदान कर आदेश पारित कर संबंधित लेखाकार्यालय व सी.ई.सी. सेल को प्रेषित किया जाकर संबंधित को भुगतान हेतु निर्देशित किया जावेगा।

(v) कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता कार्यालय से प्राप्त आदेश के अनुसार लेखाकार्यालय व सी.ई.सी. सेल ग्रेच्यूटी के अंतर की राशि के भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(vi) म.प्र.रा.वि. मण्डल से अंतरित/आमेलित हुये भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को/दिवंगत होने वाले कार्मिकों के आश्रित को उनके द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के अनुसार मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान अथवा उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के अनुसार उपादान का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

6. उक्त अनुदेश, राज्य शासन ऊर्जा विभाग के ज्ञापन क्रमांक 8265-66/एफ-2-17/2012/तेरह दिनांक 27.09.2019, ज्ञापन क्रमांक 9487/2019/तेरह दिनांक 31.10.2019 एवं ज्ञापन क्रमांक 9855/एफ-2-17/2012/तेरह दिनांक 13.11.2019 के परिप्रेक्ष्य में जारी किए गये हैं।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशानुसार एवं नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न :- प्रपत्र (i), (ii) एवं (iii)

आदेशानुसार

(संतोष टेंगोर)

मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.)

क. प्र.नि./प.क्षे./01/स्था-3/23799

इंदौर, दिनांक 24 DEC 2019

प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, म.प्र.शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. कार्यपालक निदेशक (मा.सं. एवं प्रशा.) म.प्र. पावर जन.कं.लिमि. जबलपुर।
3. मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. एवं प्रशा.) म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि./पावर ट्रांस कंपनी लिमि. जबलपुर।
4. कार्यपालक निदेशक (मा.सं. एवं प्रशा.) म.प्र.पूर्व क्षेत्र/मध्य क्षेत्र कंपनी लिमि. जबलपुर/भोपाल।
5. निदेशक (वाणिज्य), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लिमि. इंदौर।
6. कार्यपालक निदेशक (इं.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर।
7. कार्यपालक निदेशक (कार्य/ऑपरेशन/योजना), कार्पोरेट कार्यालय म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर।
8. मुख्य अभियंता एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर।
9. मुख्य अभियंता (कार्पोरेट अफेयर्स/क्रय/प्रोजेक्ट), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर।
10. मुख्य अभियंता (मैटेनेंस) कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर।

11. मुख्य अभियंता (उ.क्षे.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. उज्जैन।
 12. मुख्य अभियंता (सिविल) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर
 13. मुख्य वित्तीय अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर
 14. मुख्य आंतरिक अंकेक्षण अधिकारी, कार्पोरेट कार्यालय, इंदौर।
 15. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एमटी/वाणिज्य) कार्पोरेट कार्यालय, इंदौर।
 16. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (विधानसभा), कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर
 17. अधीक्षण यंत्री (भण्डार) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर
 18. अधीक्षण यंत्री (सू.प्रौ.) म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर। उक्त आदेश कंपनी की वेबसाईट पर प्रसारित करें।
 19. अधीक्षण यंत्री (शहर/संचा-संधा/सिविल) वृत्त, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर/ धार/ खण्डवा/ खरगौन/ बुरहानपुर/ झाबुआ/ बडवानी/ उज्जैन/ देवास/ रतलाम/ शाजापुर/ नीमच/ मंदसौर/ आगर।
 20. संयुक्त सचिव-दो/चार, कार्पोरेट कार्यालय म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर।
 21. संयुक्त सचिव-तीन, केन्द्रीय स्थापना दावा प्रकोष्ठ, कार्पोरेट कार्यालय, इंदौर।
 22. निज सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, म.प्र. शासन, भोपाल।
 23. कार्यपालन यंत्री (शहर/संचा-संधा/एसटीएम/एसटीसी/एमटी/सिविल/भण्डार) संभाग, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.
 24. उप सचिव, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर।
 25. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर/धार/खण्डवा/देवास/खरगौन/उज्जैन/रतलाम/मंदसौर।
 26. निज सचिव, प्रबंध निदेशक, कार्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संयुक्त सचिव-I
म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.मि.इंदौर

0/c

प्रति,

म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि.,

.....।

*

वारिस का फोटो

विषय:- ग्रेच्युटी अधिनियम-1972 के अंतर्गत उपादान भुगतान विषयक।

अधोहस्ताक्षरकर्ता, ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के अंतर्गत उपादान चाहता है।

आवेदनकर्ता पेंशनर का विवरण निम्नानुसार है :-

- नाम -----
- कर्मचारी क्रमांक-----भविष्य निधि लेखा क्रमांक-----
- नियुक्ति दिनांक-----नियुक्ति पद-----
- सेवानिवृत्ति की तिथि-----
- सेवानिवृत्ति के समय धारित पद-----
- सेवानिवृत्ति के समय कार्यालय का नाम -----
- पेंशन/डीसीआरजी का आदेश क्रमांक (आदेश की प्रति संलग्न करें)-----
- पेंशन नियम 1976 के अंतर्गत प्राप्त डीसीआरजी का गणना पत्रक (आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से संलग्न करें)-----
- कुल अर्हकारी सेवा अवधि-वर्ष-----माह-----
- ग्रेच्युटी अधिनियम-1972 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति तिथि पर देय उपादान की अधिकतम सीमा-----
-----तथा स्वीकृत ग्रेच्युटी की राशि------(आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से गणना पत्रक संलग्न करें)
- गणना पत्रक के आधार पर शेष भुगतान योग्य राशि (यदि कोई हो तो)-----
- पेंशनर के बैंक खाते का विवरण :- खाता क्रमांक-----
बैंक का नाम-----शाखा-----IFSC Code-----

- संलग्न :- 1. ग्रेच्युटी आदेश एवं गणना पत्रक।
2. सेवा विवरण पत्रक।
3. परिचय पत्र की प्रति (वारिस के मामले में)

- घोषणा :- 1. "मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी पूर्णतः सत्य है एवं कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। प्रदत्त की गई जानकारी में किसी भी तरह की असत्यता अथवा जानकारी छिपाया जाना पाये जाने पर मैं वैधानिक कार्यवाही के दायित्वाधीन रहूंगा/रहूंगी।"
2. उपरोक्त उपादान अंतर राशि के भुगतान में यदि आधिक्य राशि का भुगतान होता है, तो आधिक्य राशि की वसुली पेंशन से किए जाने हेतु सहमती घोषित करता/करती हूँ। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी में स्वज्ञान से पूर्णतः सत्य है, तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर मैं दण्ड का भागी रहूंगा/रहूंगी।

स्थान :-

दिनांक :-

हस्ताक्षर-----

पेंशनर का नाम-----

पेंशनर का ERP क्र.-----

संबंधित लेखा कार्यालय-----

मो.नं.-----

* पेंशनर/फेमेली पेंशनर की दिवंगत होने की अवस्था में उत्तराधिकारी का छायाचित्र(फोटो) मय परिचय पत्र की प्रति में अनिवार्य रूप से चस्पा करें/संलग्न करें।

अर्हकारी सेवा विवरण

(आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा भरा जावे)

पेंशनर का नाम.....पेंशनर का ERP क्र.सेवानिवृत्ति का प्रकार
(अधिवार्षिकी/स्वैच्छिक/अनिवार्य/अन्य) टिक करें।

क्र.	कुल सेवा काल (वर्ष माह दिन)	गैर अर्हकारी सेवा अवधि (वर्ष माह एवं दिन)	गैर अर्हकारी सेवा घटाने के उपरांत उपादान की अंतर राशि के भुगतान हेतु अर्हकारी प्रयोज्य सेवाकाल (वर्ष माह एवं दिन)
1	2	3	4

उपादान भुगतान अधिनियम-1972 के अनुसार गणना पत्रक

- 1) अंतिम वेतन (मूल वेतन, ग्रेड पे, अतिरिक्त पे इत्यादि यदि हो + मंहगाई भत्ता) * कुल अर्हकारी सेवा वर्ष * 15/26 =
- 2) 1976 के अंतर्गत उपादान भुगतान राशि =
- 3) भुगतान करने योग्य राशि (1 - 2) =

सत्यापन

उपरोक्त तालिका में दिये गये सेवा विवरण का सत्यापन पेंशनर के सेवा अभिलेखों से कर लिया गया है एवं तदनुसार गणना पत्रक इत्यादि पूर्णतः सही है।

नियंत्रणकर्ता के हस्ताक्षर

एवं पद मुद्रा.....

उपादान भुगतान अधिनियम-1972 के अंतर्गत उपादान की अधिकतम सीमा तथा प्रयोज्य अवधि

क्र.	प्रयोज्य अवधि	उपादान भुगतान अधिनियम-1972 के अंतर्गत (भुगतान की) अधिकतम सीमा (रु)	उपादान भुगतान अधिनियम-1972 के अंतर्गत अधिकतम भुगतान की सीमा के अधीन अंतर राशि का भुगतान करने संबंधी टीप
1	12.8.87 से 23.5.94	50,000	अधिकतम भुगतान की सीमा रु 50,000 के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।
2	24.5.94 से 23.9.97	1.00 लाख	अधिकतम भुगतान की सीमा रु 1.00 लाख के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।
3	24.9.97 से 23.5.10	3.50 लाख	अधिकतम भुगतान की सीमा रु 3.50 लाख के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।
4	24.5.10 से 28.3.18	10.00 लाख	अधिकतम भुगतान की सीमा रु 10.00 लाख के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।
5	29.3.18 से अब तक	20.00 लाख	अधिकतम भुगतान की सीमा रु 20.00 लाख के अधीन अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा।